न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : रिव्यू प्रार्थना पत्र/ आर्म्स एक्ट 24/2013/अजमेर (2013/00022)

श्री यज्ञनारायण सिंह पुत्र स्व0 श्री नवरतन सिंह निवासी ग्राम चौसला हाल रघु कॉलोनी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

प्रत्यर्थी

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरूद्ध आदेश संभागीय आयुक्त, अजमेर अपील संख्या 20/2010 दिनांक 22–5–2013

———

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक :27.01.2021

रिव्यू प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने स्वयं की रक्षार्थ के लिए 12 बोर, 22 बोर राईफल SBML हथियार रखने के लिए शस्त्र अनुज्ञा–पत्र जारी करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 31–8–2010 को आर्म्स एक्ट के नियम 51 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा केवल 12 बोर बन्दूक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 619 दिनांक 5–10–2010 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को अपीलार्थी के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने की अनुशंषा की। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक/न्याय/शस्त्र/2010/ 15146 दिनांक 20–10–2010 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि पुलिस अधीक्षक अजमेर ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:52 IST
Reason: SelfAttested

शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने में असहमति प्रकट की है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के उक्त आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो तत्कालीन संभागीय आयुकत अजमेर ने अपने रिव्यू अधीन निर्णय दिनांक 22—5—2013 द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

रिव्यू प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान रिव्यू प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 13, 14 से 17 तथा आर्म्स एक्ट 1962 के नियम 51 के तहत कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने प्रशासनिक कार्यवाही के तहत केवल पत्र व्यवहार कर और एक साधारण पत्र द्वारा प्रार्थी को सूचित किया कि उन्हें शस्त्र अनुज्ञा पत्र नहीं दिया जा सकता है। यह पत्र एक सूचना पत्र है आदेश तो कोई पारित ही नहीं किया गया है। तत्कालीन संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष बहस के दौरान व अपील के पैरा—2 में इस आपत्ति को उठाया गया था किन्तु इस बिन्दु पर तत्कालीन संभागीय आयुक्त द्वारा कोई फाईण्डिंग ही नहीं दी गई है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर नियमों के तहत लाईसेंसिंग अथोरिटी है। उन्हें अपने स्तर पर नियमों के अन्तर्गत निर्णय लेना चाहिए था परन्तु उन्होंने केवल जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को सूचित किया कि आपका शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त बिन्दु पर भी तत्कालीन संभागीय आयुक्त द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया इस बाबत तत्कालीन संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा पूर्व निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से रिपोर्ट चाहीं जो [illegible] निर्धारित प्रपत्र में भेजी जिसमें आवेदक हिस्ट्रीशीटर नहीं है तथा कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी प्रकरण में दोषी नहीं पाया गया है। साथ ही अपीलार्थी के विरूद्ध कोई सजायाप्ता का प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा आवेदक का चरित्र उत्तम है। अपीलार्थी ने अपनी सुरक्षार्थ व कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए हथियार के लाईसेंस की आवश्यकता बताई है। तत्कालीन संभागीय आयुक्त महोदय को तत्समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:52 IST
Reason: SelfAttested

लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि अपीलार्थी को अपनी व कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए लाईसेंस की आवश्यकता हैं।

उन्होंने यह भी कथन किया कि परिपत्र दिनांक 16–12–2006 व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 13 एवं 14 में हथियार का लाईसेंस जारी करने बाबत प्रक्रिया निर्धारित है। इन प्रावधानों के तहत स्वयं व सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु हथियार का लाईसेंस नहीं जारी करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। स्वयं व सम्पत्ति की सुरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है और इसकी सुरक्षा हथियार से ही की जा सकती है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 14 में हथियारों में 12 बोर, 22 बोर राईफल SBML कुल तीन हथियार रखने के लिए आर्म्स लाईसेंस की मांग की थी। राजस्थान गृह (गृह–9) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 1–9–2007 के बिन्दु संख्या 5 में एक व्यक्ति अधिकतम तीन शस्त्र धारिज करने की व्यवस्था की है। प्रार्थी ने उक्त प्रावधानों के तहत ही अपने प्रार्थना पत्र में तीन हथियारों का उल्लेख किया था परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया।

उन्होंने यह भी कथन किया कि तत्कालीन संभागीय आयुक्त ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के किसी भी बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है उन्होंने केवल एक बिन्दु पर अपना निर्णय दिया है कि प्रार्थी के पास जो हथियार आयेंगे वह उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके पास आयेंगे। प्रार्थी ने जो वसीयत प्रस्तुत की है उस पर प्रार्थी की माता ने आपत्तियां की है। इस बारे में प्रार्थी का निवेदन है कि यह बिन्दु न तो जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष उठाया गया एव ंना ही इसका जिक्र जिला मजिस्ट्रेट, के आदेश में है। यह सिविल न्यायालय का विषय है जिस पर सिविल न्यायालय ही निर्णय पारित कर सकता है प्रार्थी ने तो केवल हथियार लाईसेंस के लिए आवेदन किया था जिसके युक्तियुक्त कारण होने के उपरान्त भी उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। तत्कालीन संभागीय आयुक्त ने भी इस विषय पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है उन्होंने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वसीयत पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश क्रमांक न्याय/शस्त्र/2010/15146 दिनांक 20–10–2010 निरस्त किया जावे व तत्कालीन संभागीय आयुक्त अजमेर का आदेश दिनांक 22–5–2013 भी निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया तथा साथ ही यह भी निवेदन किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को निर्देश प्रदान करावे कि वे अपीलार्थी को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तीनों हथियारों को रखने के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:52 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र का सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने

के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 619 दिनांक 5–10–2010 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को अवेदक द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का कोई समुचित कारणों नहीं बताने के कारण अपीलार्थी के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने की अनुशंषा की है। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने पत्र क्रमाक 15146 दिनांक 20–10–2010 के द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने में असहमति प्रकट की है। उक्त कारणो से जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी का शस्.त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी ने अपनी व सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु तीनों हथियारों का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाना चाह रहा है। अपीलार्थी ने अपील मीमों एंव मौखिक बहस के दौरान यह कथन नहीं किया कि अपीलार्थी को किससे स्वयं को एवं सम्पत्ति को खतरा महसूस हो रहा है जिससे उसे शस्त्र की आवश्यकता पड़ रही है। यद्यपि पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी हिस्ट्रीशीटर नहीं है तथा कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी प्रकरण में दोषी नहीं पाया गया है। साथ ही अपीलार्थी के विरूद्ध कोई सजायाप्ता का प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा आवेदक का चरित्र उत्तम है तथापि अपीलार्थी को तीनों हथियार का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रार्थीया हुकम कंवर पत्नी स्व0 श्री नवरतन सिंह द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को दिनांक 12–10–2010 को प्रेषित पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें उल्लेखित है कि प्रार्थीया के पति नवरतन सिंह का स्वर्गवास दिनांक 10–10–2008 को हो चुका है तथा स्व0 नवरतन सिंह के नाम तीन हथियार (1) एम.बी.एम.एल.गन न0 6095, (2) 12 बोर डी.बी.बी.एल.एन गन नं0 2466 एवं (3) 0.22 बोर राईफल नं0 1931183 को प्रार्थीया के पति के स्वर्गवास के पश्चात हथियारों को संबंधित फर्म मैसर्स हाजी अमीन अहमद खान एण्ड संस डीलर इन फायर एण्ड एमिनेश अजमेर के यहां जमा करवा दी गई है। स्व0 नवरतन सिंह के स्वर्गवास के पश्चात उनकी उत्तराधिकारी में उनकी पत्नी हुकम कंवर के अलावा कोई जायन्दा औलाद (पुत्र एवं पुत्री) नहीं है। अपीलार्थी यज्ञनारायण सिंह या किसी अन्य व्यक्ति को हथियार रीलीज न [illegible] जावे। श्रीमती हुकम कंवर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसियत [illegible] बताया गया है। साथ ही यज्ञनारायण सिंह को नवरतन सिंह द्वारा गोद लिये जाने बाबत गोदनामा साक्ष्य स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि यज्ञनारायण सिंह को नवरतन सिंह द्वारा गोद लिया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत चौसला द्वारा भी दिनांक 19–11–2008 को एक वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:52 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें नवरतन सिंह पुत्र रघुराज सिंह के श्रीमति हुकम कंवर के अलावा कोई पुत्र पुत्री नहीं होना दर्शाया गया है। इस कारण से जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है और जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–10–2010 एवं तत्कालीन संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–2013 एक विस्तृत स्पीकिंग आदेश होने तथा विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 20–10–2010 एवं तत्कालीन संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–5–2013 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:52 IST
Reason: SelfAttested